गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ...
के उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये।
2/9/17 (?)	और कृष्णलाल पुत्र श्री हरीराम जाति कुम्हार ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये, जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थी ने अब अपने प्रार्थना पत्र पर निर्णय चाहा। अतः निर्णय हेतु पत्रावली आगामी दिनांक 6/9/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर
6/9/17	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट पीठासीन अधिकारी अन्य राजस्व कार्यों में बाहर सर्किल में पधारे होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 19/9/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19/9/17	पत्रावली पेश हुई। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 10 W के मु०नं. 24/.190, 37/2.810, 53/3.048, 59/1/.050, 59/33/.101 =6.199 हैक्ट. नम्बरी में रकबा गुरचरणसिंह .759, दलवीर सिंह 1.581 है गुरदयाल सिंह .657 हैं. पि० पालसिंह बगैरह जाति जटसिख सा० देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत रकबा

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	स्व. आवंटित भूमि न होकर पैतृक भूमि है, प्रश्नगत रकबे पर वारिसान काबिज है उक्त रकबा रहन/बैय नहीं है प्रश्नगत रकबा पर किसी न्यायालय ~~इत्यादि~~ का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही विचाराधीन है प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है प्रश्नगत रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अवाप्त/आरक्षित नहीं है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/व.प./भू.अ./2017/1372-73 दिनांक 25/5/17 में प्रकाशित द्वारा वसीयत के सम्बन्ध सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र " दैनिक राष्ट्रीय हरित " के अंक दिनांक 26/5/17 को पृष्ठ संख्या 4 कालम संख्या 4 पर प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुए है। वसीयत में दर्ज गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख व श्री कृष्णलाल पुत्र श्री हरीराम जाति कुम्हार के बयानातानुसार वसीयतकर्ता गुरचरण सिंह द्वारा वसीयत पूरे होश-हवास, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव के, बिना किसी विवाद के और बिना किसी प्रताड़ित के, मौका पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार होना, वसीयत अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामन्दी से हमारे सामने लिखवाई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल कागजात से पत्रावली के साथ संलग्न कागजात का मिलान किया गया।	
	तहसीलदार (भू.अ.)	

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, गवाहान के बयानात रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमाव के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणि होती है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में मजमेआम में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(LR Act के तहत वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखि दफ्तर हो।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner